सीएम हेल्पलाइन निराकरण में अम्बाह तहसील जिले में अव्वल

ए ग्रेड हासिल करने वाली एकमात्र तहसील बनी

नवभारत न्यूज

मुरैना/अम्बाह, 20 जुलाई। मध्यप्रदेश शासन की जनशिकायत निवारण प्रणाली सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग में तहसील अम्बाह ने मुरैना जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए ए-ग्रेड हासिल करने वाली जिले की एकमात्र तहसील बनने का गौरव प्राप्त किया है।

यह उपलब्धि कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रतिज्ञा शर्मा के मार्गदर्शन तथा तहसीलदार नरेश शर्मा के नेतृत्व में हासिल हुई। तहसील अम्बाह ने ग्रेडिंग माह में दर्ज कुल शिकायतों में से 82 प्रतिशत शिकायतों का संतुष्टि के साथ निराकरण कर जिले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

तहसीलदार नरेश शर्मा ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के लिए प्रत्यक्ष फीडबैक आधारित मॉनिटरिंग मॉडल अपनाया। इसके तहत उन्होंने शिकायतकर्ताओं, विशेषकर किसानों से स्वयं फोन पर संवाद कर उनकी समस्या की वास्तविक स्थिति जानी और संबंधित शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराया। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में शिकायतें शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर बंद की गईं।

अम्बाह तहसील के इतिहास में यह पहली बार है जब तहसील

ने ए-ग्रेड के साथ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तहसीलदार नरेश शर्मा ने बताया कि सभी पटवारियों को किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग और फील्ड स्तर पर त्वरित कार्रवाई के चलते यह उपलब्धि हासिल हुई।

उन्होंने इस सफलता का श्रेय तहसील के समस्त पटवारियों, नायब तहसीलदार बलराम दोहरे, सीएम हेल्पलाइन शाखा में कार्यरत सचिन ददौरिया एवं रवि वर्मा तथा क्षेत्र के किसानों को दिया।

उन्होंने कहा कि तहसील अम्बाह में किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस और टाइम-बाउंड ग्रिवांस रिड्रेसल की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।

31 अगस्त तक चलेगा 'दस्तक सह स्टॉप डायरिया' अभियान

मुरैना, 20 जुलाई। जिले में 14 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक 'दस्तक सह स्टॉप डायरिया' अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य पाँच वर्ष तक के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय पर पहचान एवं उपचार के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना तथा गंभीर बीमारियों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पदमेश उपाध्याय के मार्गदर्शन में अभियान के दौरान आशा, एएनएम एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर पाँच वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान डायरिया से बचाव, ओआरएस एवं जिंक के उपयोग, हाथ धोने की आदत, स्वच्छता तथा सुरक्षित पेयजल के महत्व के संबंध में परिवारों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही बच्चों में कुपोषण, एनीमिया सहित अन्य गंभीर बीमारियों के लक्षण मिलने पर उन्हें आवश्यक उपचार एवं स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए रेफर किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉ. गजेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि अभियान के दौरान प्रत्येक लक्षित परिवार को ओआरएस के पैकेट एवं जिंक की गोलियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

घायल महिला को डायल-112 के जवानों ने अस्पताल पहुंचाया

नवभारत न्यूज

मुरैना, 20 जुलाई। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले में आमजन की सुरक्षा एवं त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु डायल - 112 सेवा लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। जिला मुरैना के थाना कैलारस अंतर्गत राजपुरा मोड़ के पास पारिवारिक विवाद हो गया है, जिसमें एक महिला घायल हो गई है, पुलिस सहायता की आवश्यकता थी। सूचना राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 भोपाल में दिनांक 20/07/ 2026 को दोपहर 02:05 बजे प्राप्त हुई।

सूचना प्राप्ति पर तत्काल थाना कैलारस में तैनात डायल-112 एफआरव्ही वाहन को मदद के लिए रवाना किया गया। डायल-112 जवानों आरक्षक 966 सुखेन्द्र सिंह एवं पायलट संतोषी मौके पर पहुँचकर बताया कि पारिवारिक विवाद में एक महिला गंभीर रूप से

घायल हो गई थी।

डायल-112 जवानों ने तत्परता दिखाते हुए घायल महिला को तत्काल एफआरव्ही वाहन की मदद से शासकीय अस्पताल कैलारस पहुँचाया। जहाँ घायल महिला का उपचार किया जा रहा है, अग्रिम कार्यवाही थाने द्वारा की जा रही है । हाँ घायल हिरण के बच्चे का उपचार किया जा रहा है।

एक नजर में

कांग्रेसियों एवं दिव्यांगजनों ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिया समर्थन

मुरैना/जौरा, 20 जुलाई। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं दिव्यांग जनों ने बैठक आयोजित कर समर्थन दिया। 20 जुलाई को पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा की मौजूदगी में कांग्रेसियों एवं दिव्यांगजनों ने गांधी वाचनालय में एकत्रित होकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को समर्थन देते हुए कहा कि दिल्ली पहुंचकर सभी लोग जंतर-मंतर पर आयोजित संसद मार्च में शामिल होंगे। शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन में भाग भी लेंगे। बैठक में उपस्थित शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष मुरारीलाल अमर, रामहेत त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शुक्ला का कहना था कि सोनम युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई पूरी तरह से सही है, इसलिए उनको पूरी तरह से हम समर्थन देते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। बैठक में ओमप्रकाश सकलेचा, दिलीप जैन, माताराम शर्मा, विजय जैन, दिनेश कुमार मित्तल, रामहेत जाटव, सोनू माझी, अशोक कुमार, मोबीन खान, रोहित शाक्य, रामगोपाल सविता, शाहिद खान, श्रीमती बुढ़िया माझी, गीता, वासुदेव प्रजापति सहित अन्य दिव्यांगजन कांग्रेसी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय कार्य बल के तहत ऑफलाइन सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का शुभारंभ

मुरैना/जौरा, 20 जुलाई। उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार चार दिवसीय ऑफ लाइन सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का शासकीय महाविद्यालय जौरा में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिवस वाणिज्य विभाग डॉ. नीलम राजपूत ने विद्यार्थियों को स्वच्छता एवं जनजागरूकता विषय पर संबोधित करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जनभागीदारी का महत्व बताया। साथ ही विद्यार्थियों को पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता तथा नारे लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता के प्रति प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपने विचारों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एच.एन. सिंह हाड़ा ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्यों एवं नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी डॉ. चमन प्रकाश विमल, डॉ. यदुनंदन उपाध्याय, अशोक सिंह, रमेश कुमार, दिनेश कुमार, हरिओम ओझा, प्रशांत शर्मा, हेमंत पाराशर, संदीप बंसल, आशुतोष जैन, राजेंद्र, मुलायम सिंह एवं सिकंदर कुरैशी आदि उपस्थित रहे।

लंबित मांगों को लेकर पटवारियों ने दिया ज्ञापन

मुरैना/जौरा, 20 जुलाई। वर्षों से लंबित पड़ी अपनी मांगों के निराकरण के लिए पटवारियों ने मुख्यमंत्री, कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार को दिया। 20 जुलाई को पटवारी संघ के अध्यक्ष रामअवतार सिंह यादव एवं मनीष शर्मा की मौजूदगी में पटवारी ने तहसीलदार मुकेश दुबे को दिए गए ज्ञापन में लिखा है कि वसीयत एवं अन्य राजस्व न्यायालय प्रकरणों में पटवारी केवल प्रतिवेदन करता है, उसके गुण-दोष की जांच करना तथा निर्णय कर आदेश प्रसारित करना न्यायालय तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार का कार्य है। लेकिन कुछ मामलों में पटवारी पर सीधे थाने में मामले दर्ज किए गए हैं, जो पूरी तरह से गलत होकर विधि संगत एवं न्याय संगत नहीं हैं, इसलिए पटवारी को भी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के साथ जज प्रोडक्शन एक्ट में शामिल किया जाए। ज्ञापन में वित्तीय लंबित भुगतान पदाधिकारी के नियम ब्रिटिश स्थानांतरण जैसी अन्य मांगें भी थीं। ज्ञापन में पटवारी ने यह भी लिखा है कि उनकी सभी पांच सूत्रीय मांगों को तत्काल स्वीकृत किया जाए। कैडर रिव्यू लघु एवं पदोन्नति तथा वेतनमान को तत्काल लागू किया जाए। ज्ञापन के दौरान पुरुष पटवारी के अलावा महिला पटवारी भी मौजूद रहीं।

विधानसभा परिसर में जौरा विधायक ने दिया धरना

मुरैना/जौरा, 20 जुलाई। विधानसभा सत्र के प्रथम दिन जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने विधानसभा परिसर के गांधी प्रतिमा के पास बैठकर धरना दिया। यह धरना कैलारस शक्कर कारखाने से संबंधित प्रश्न को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा के द्वारा बार-बार निरस्त करने के विरोध में दिया गया। विधायक ने बताया कि उनके द्वारा अभी तक चार बार कारखाने से संबंधित प्रश्न लगाए हैं। सत्र दिसंबर 2025 में, सत्र मार्च

अप्रैल 2026 दिनांक 17 फरवरी 2026 में प्रश्न क्र. 210 एवं सत्र जुलाई 2026 में प्रश्न क्र. 260 20 जुलाई को प्रश्न लगाए हैं और चारों बार इनके द्वारा निरस्त कर दिया जाता है और जब मैंने इनसे पूछा कि यह प्रश्न क्यों निरस्त किए हैं तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आज भी मैने अध्यक्ष से पूछा कि यह प्रश्न क्यों निरस्त किया गया है तो आज भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए मुझे आज मजबूरन विधानसभा परिसर में गांधीजी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठना पड़ा और तब तक बैठूंगा जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता।

केंद्रीय विद्यालय में एसपी ने दिलाई नशामुक्ति की शपथ

मुरैना, 20 जुलाई। म.प्र. शासन की मंशानुसार एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार संचालित 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' जनजागरूकता अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 20.07.26 को पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना (भा.पु.से.)' की उपस्थिति में 'केंद्रीय विद्यालय, मुरैना में नशा मुक्ति जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के लगभग ' 300 छात्र - छात्राओं एवं शिक्षकों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा विद्यार्थियों एवं उपस्थित शिक्षकगणों, विद्यालय

के अन्य स्टाफ को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को भी नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। साथ ही, शिक्षा, खेल एवं सकारात्मक गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र - छात्राओं एवं शिक्षकों को 'नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। विद्यार्थियों ने स्वयं नशे से दूर रहने, अपने परिवार एवं समाज को नशामुक्त बनाने तथा नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की सूचना पुलिस को देने का संकल्प दिलाया गया। साथ ही, पुलिस अधीक्षक द्वारा यह संदेश दिया गया कि नशीले पदार्थों के अवैध निर्माण, परिवहन, विक्रय अथवा तस्करी जैसी किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराएं, ताकि ऐसे तत्वों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके ।

उक्त कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डावर, रक्षित निरीक्षक श्री रविकांत शुक्ला, अन्य पुलिस अधिकारी-कर्मचारी, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

दो माह से फरार आरोपी पुलिस ने दबोचा

मुरैना, 20 जुलाई। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना (भापुसे) द्वारा जिले में घटित गंभीर अपराधों में वांछित आरोपियों, वारंटियों एवं ईनामी / फरारी बदमाशों की धरपकड़ हेतु सम्पूर्ण जिले में विशेष अभियान संचालित कराया जा रहा है। उक्त अभियान के तारतम्य में अति. पुलिस

अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डावर के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक मुरैना श्रीमती दीपाली चन्दौरिया के मार्गदर्शन थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा मारपीट एवं एससी / एसटी एक्ट संबंधी प्रकरण में लगभग 02 माह से फरार चल रहे 1500/- के ईनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 20.07.26 को थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना हाजा के अप.क्र 185/2026 धारा 115 (2), 296 (ए),126 (2), 351(2),140 (1). 3 (5) बीएनएस 3 (1) (द), 3 (1) (थ), 3(1)(डी), 3(2) में लगभग 02 माह से फरार चल रहे 1500/- के ईनामी आरोपी बल्लों गुर्जर पुत्र मातादीन निवासी जनकपुर, मुरैना को गंगापुर हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा मय 01 जिंदा राउण्ड के जब्त कर प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का ईजाफा किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया। प्रकरण में 03 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

प्रतिभा सम्मान समारोह में जीनियस हायर सेकेंडरी स्कूल के मेधावी विद्यार्थी सम्मानित

मुरैना, 20 जुलाई। शहर के पत्रकार वर्ग द्वारा गर्ग सेवा सदन, जीवाजी गंज में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शहर के मुख्य शिक्षा संस्थानों के साथ-साथ बोर्ड परीक्षाओं में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जीनियस हायर सेकेंडरी स्कूल, मुरैना के संचालक अशोक शर्मा एवं धर्मेंद्र डंडोतिया, प्राचार्य संतोष तोमर तथा विद्यालय के उन मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया, जिन्होंने एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय एवं जिले का गौरव बढ़ाया। विद्यालय की इस उपलब्धि की उपस्थित अतिथियों एवं शिक्षाविदों ने सराहना करते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह के मुख्य अतिथि सुरेश शर्मा (आयुक्त, चंबल संभाग) रहे। विशिष्ट अतिथियों में कमलेश भार्गव (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना), हरीश तिवारी (डीपीसी, मुरैना) तथा डॉ. सुधीर आचार्य (मोटिवेशनल स्पीकर) उपस्थित रहे।

एडवोकेट अशोक जैन का अंतिम संस्कार हुआ

मुरैना/अम्बाह, 20 जुलाई। अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष, समाजसेवी एवं शिक्षाविद् अशोक कुमार जैन एडवोकेट सोमवार को हजारों लोगों की मौजूदगी में स्थानीय मुक्ति धाम में पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी अंतिम यात्रा में अम्बाह नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हर आंख नम थी और हर चेहरा उनके जाने के दुख से उदास नजर आया। ज्ञात रहे कि अशोक कुमार जैन के निधन से अम्बाह सहित पूरे जैन समाज, अधिवक्ता जगत, शैक्षणिक एवं सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में उपचाररत थे, जहां रविवार को करीब 70 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

अशोक कुमार जैन अम्बाह अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे। कानून के क्षेत्र में लंबे समय तक सेवाएं देने के साथ ही वे धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। सीए कमलेश जैन ने कहा कि अशोक कुमार जैन केवल एक कुशल अधिवक्ता ही नहीं, बल्कि समाज के लिए सदैव समर्पित रहने वाले व्यक्तित्व थे। उनका व्यवहार बेहद सहज और आत्मीय था। उनके निधन से समाज ने एक ऐसे मार्गदर्शक और आत्मीय व्यक्तित्व को खो दिया है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। अंतिम यात्रा में भाजपा मुरैना उपाध्यक्ष जिनेश जैन, सेवा न्यास कार्याध्यक्ष सीए कमलेश जैन, सेवानिवृत्त आईपीएस राकेश जैन भोपाल, राजमाया होटल शिवपुरी के राजेंद्र प्रसाद जैन, सेवानिवृत्त इंजीनियर प्रकाश चंद जैन ग्वालियर, सन्मति फाउंडेशन अध्यक्ष राजीव जैन, अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार जैन मुरैना, एलआईसी से जुड़े रूपेश कुमार जैन, विमल जैन (राजू) अम्बाह एवं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अध्यक्ष संतोष जैन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, अधिवक्ता, समाजसेवी और नगर के प्रतिष्ठित महानुभाव शामिल हुए।

इनरव्हील क्लब के नए सत्र का शपथ एवं पदग्रहण समारोह का समापन

नवभारत न्यूज

मुरैना, 20 जुलाई। इनर व्हील क्लब के नए सत्र (2026-27) का शपथ एवं पदग्रहण समारोह होटल इंद्रलोक पैलेस में गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) श्रीमती दीपाली चंदोलिया रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी श्रीमती अलका भार्गव तथा पास्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रेज़रर डॉ. विमल गर्ग उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में क्लब की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती करुणा जैन, पूर्व अध्यक्षों एवं वरिष्ठ सदस्याओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह के दौरान निवर्तमान अध्यक्षा श्रीमती श्वेता माहेश्वरी ने परंपरा के अनुसार नवनिर्वाचित अध्यक्षा श्रीमती प्रतीक्षा बांदिल को अध्यक्षीय कॉलर पहनाकर पदभार सौंपा तथा नए सत्र की कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी में अध्यक्षा श्रीमती प्रतीक्षा बांदिल, सचिव डॉ. मीनाक्षी माहेश्वरी, कोषाध्यक्ष श्रीमती भावना मित्तल, आईएसओ डॉ. सुधा माहेश्वरी तथा सी.सी. श्रीमती रंजिता शिवहरे ने अपने-अपने पद एवं दायित्व ग्रहण किए।

इस अवसर पर क्लब में पाँच नए सदस्योंडॉ. मीरा बांदिल, डॉ. रुचि गुप्ता, श्रीमती भावना मंगल, श्रीमती अलका बंसल एवं श्रीमती शिल्पा गर्ग का विधिवत स्वागत किया गया। सभी नवसदस्यों ने सेवा, मित्रता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ क्लब की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएँ देते हुए महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा एवं जनकल्याण के क्षेत्र में समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई कार्यकारिणी क्लब की सेवा गतिविधियों को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी। समारोह में उपस्थित सदस्यों ने नव पदाधिकारियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया तथा अंत में आभार प्रदर्शन के साथ समारोह का समापन हुआ।

आम सूचना

श्रीमती वंदना डौंडेरिया पत्नी श्री अजीत डौंडेरिया के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र. 89 एवं 106, स्थित महाराजपुर रोड से दूर, ग्राम महाराजपुर, तहसील जौरा एवं जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.45 (चंबल वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र. 1082 ग्राम महाराजपुर का भाग है एवं जिराका क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :-पूर्व में रास्ता 20 फुट चौड़ा, पश्चिम में रास्ता 20 फुट चौड़ा, उत्तर में भूखण्ड क्र.88, 107 सरिता एवं सीमा का एवं दक्षिण में भूखण्ड क्र.90, 105 भवन मुस्लिम है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री गजेन्द्र सिंह एवं श्री विष्णु सिंह पुत्रगण श्री हरिशंकर के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा सम्पत्ति 3000 वर्गफुट एरिया श्रीमती सुमन कौशिक पत्नी श्री अजय कुमार कौशिक को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 25792018ए1037977 दिनांक 17.01.2018 से विक्रय की गई। श्रीमती सुमन कौशिक द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती चंदना डाँडेरिया पत्नी श्री अजीत डडिरिया को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25792023ए 11681584 दिनांक 31.03.2023 से विक्रय की गई। श्रीमती वंदना डाँडेरिया द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान मैसर्स बोलामण्डलम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनेंस कं. लि. (सी.आई.एफ.सी.एल) ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्य स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हित निहित होने अथवा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरूद्ध प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृष्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्री दीपक सिकरवार पुत्र श्री वीरेन्द्र सिकरवार के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड स्थित पुलिस स्टेशन के पीछे, कृष्णा विहार कॉलोनी, ग्राम जैतपुर नूराबाद, तहसील बामौर एवं जिला मुरैना (म.प्र.) में है जो भूमि सर्वे क्र.04 ग्राम जैतपुर नूराबाद का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है-पूर्व में रास्ता, पश्चिम में कृषि भूमि दीगर, उत्तर में भूखण्ड क्र.34 एवं दक्षिण में भूखण्ड क्र.32 है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री रामाख्यार सिंह पुत्र श्री घमण्डी सिंह गुर्जर द्वारा श्रीमती बेबी सिकरवार पत्नी श्री वीरेन्द्र सिकरवार को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25792023ए 12074398 दिनांक 03.07.2023 से विक्रय की गई। श्रीमती बेवी सिकरवार का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2023 को हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री दीपक सिकरवार पुत्र श्री वीरेन्द्र सिकरवार उनकी सम्पत्त के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री दीपक सिकरवार द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस लि. शाखा ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं श्रीमती बेबी सिकरवार के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक- **नीरज जैन, एडवोकेट**
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

In The Court Of I Civil Judge, Senior Division, Ambah District Court, Morena

Presiding Officer: राहुल सोलंकी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
सक्सेशन प्रकरण क्रमांक
(MJC SUC/0000005/2026)

कु. सिमरन..........आवेदक
Vs
सर्व साधारण..........अनावेदक

Process Id-660/2026
पेशी दिनांक :- 27/07/2026

प्रेषिती-
(1) सर्व साधारण पता- पता. सर्व साधारण
(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक **कु सिमरन** पता ने मृतक **श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. श्री जीवन** सिंह निवासी- वार्ड क्रमांक 16 किला रोड अम्बाह जिला मुरैना म.प्र. की 1,72,471.17/-राशि/ संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 27 July 2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/ संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक **27 July 2026** को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख **13 July 2026** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश
राहुल सोलंकी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
वरिष्ठ खण्ड़ अम्बाह,
जिला-मुरैना (म.प्र.)

कृपया ध्यान दे :- 1. यदि किसी कारणवश की न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।